न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय
परिवाद संख्या – 17सी/19

पूजा कुमारी **बनाम** सुशील सहनी वगैरह

दिनांक 12.02.2020 :

अभिलेख आज आदेश हेतु निश्चित है। परिवादी द्वारा समयावेदन दिया गया। इसे आज मात्र के लिए स्वीकार किया जाता है। वाद पुकार पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए ।

आदेश

परिवादी ने प्रस्तुत वाद सुशील सहनी, बीसो सहनी, सुनैना देवी, बीरजू सहनी, पर किया है। परिवादी का मामला संक्षेप में यह है कि परिवादिनी की शादी सुशील सहनी के साथ पांच वर्ष पूर्व हुआ था। शादी के बाद ससुराल गयी। वहां तीन माह तक सही से रखा। उसके बाद मायके चली गयी। फिर ससुराल गयी, तो बीसो सहनी, सुनैना देवी, सुशील सहनी, बीरजू सहनी दो लाख रूपये की मांग करते थे, नहीं देने पर सभी व्यक्ति मिलकर मारपीट करते थे तथा खाना नहीं देते थे। जब मैं पिताजी को सूचना दी तो पिताजी कर्ज लेकर 50000/– रूपये दिये। उसके बाद फिर सभी लोग मारपीट करना शुरू कर दिये। दिनांक 01.04.16 को मेरे पति मुझे लुधियाना लेकर चले गये। मेरा लड़का बीमार पड़ा तो लड़के को लेकर हॉस्पीटल गये। हॉस्पीटल में लड़के को छोड़कर मेरा पति चला आया। तब मेरे पिताजी लुधियाना गये और हॉस्पीटल का खर्च देकर मुझे और मेरे बच्चों को लेकर गांवा वापस आ गये। पिताजी पंचायती के लिए पति के पास गये तो पंचायती में विश्वास दिलाया कि ठीक से रखेंगे और किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं करेंगे। लेकिन दिनांक 03.08.18 को मारपीट कर मुझे घर से भगा दिया। उस दिन से मैं अपने माता–पिता के साथ रह रही हूं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि परिवादी ने अपने समर्थन में तीन जांच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा कहते हैं कि सभी साक्षीगण ने परिवादी के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। अतः अभियुक्तों के विरूद्ध अंतर्गत धारा – 341, 323, 498–ए, भा0 दं0 सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत समन निर्गत करने की कृपा करे।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी का सशपथ बयान एवं तीन जांच साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया गया है। परिवादी के सशपथ बयान एवं साक्षियों के जांच साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय परिवाद पत्र में नामित अभियुक्तों सुशील सहनी, बीसो सहनी, सुनैना देवी के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या भा0 दं0 सं0 की धारा –323, 498–ए के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार पाती है।

अतः परिवादी को निर्देशित किया जाता है कि निश्चित तिथि के भीतर समन के अपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करे। वाद दिनांक ..... वास्ते समन की अपेक्षिताएं।

योगेश कुमार मिश्र
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल, बेगूसराय